प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.02.2025

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.02.2025 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा फीजू नाम के व्यक्ति जो तांत्रिक का काम करता है के द्वारा उसके घर से चले गए पति के वापस बुलाने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसके साथ कई बार गलत काम करने व उसकी अश्लील विडियो बनाने के सम्बन्ध में नामजद प्रार्थना दिया गया। जिसमे थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धारा-64(ड) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया, दौराने विवेचना वादिया/पीडिता के बयान से अभियुक्त द्वारा उसकी नाबालिक लडकी से साथ भी गलत काम करना बताया जिसमें मुकदमा उपरोक्त में धारा-¾ पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.02.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फीजू पुत्र भुल्लन निवासी रजा मस्जिद इकराम नगर लोनी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं रजा मस्जिद इकराम नगर लोनी गाजियाबाद में रहता हूँ तथा तांत्रिक का काम करता हूँ। मेरी पीडिता से करीब एक वर्ष पहले मुलाकात हुई थी जिसमे उसने बताया कि मेरा पति मुझे छोडकर कही चला गया तो मैने इस बात का फायदा उठाकर उसे झांसा देकर कि मैं तांत्रिक विद्या से तुम्हारे पति को वापस घर बुला दूंगा, इस बात का फायदा उठाकर मैंने पीडिता से कई बार गलत काम किया और किसी को न बताने का दबाब बनाने के लिए इसकी अश्लील विडियो बना ली थी। मैंने मौके पाकर पीडिता की नाबालिक लडकी के साथ भी गलत काम किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम/पता

फीजू पुत्र भुल्लन निवासी रजा मस्जिद इकराम नगर लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 65 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी कारित करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 8,89,000 रू0 रूपये बरामद तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी सीज

घटना का विवरणः- दिनांक 04.02.2025 को वादी राकेश कुमार मित्तल पुत्र स्व0 श्री मदन लाल निवासी 5/56 राजनगर गाजियाबाद ने अभियुक्त अभिषेक द्वारा वादी की गाडी ciaz रजि0न0. UP14ES 5152 से 01 बैंग जिसमें रखे 1000000/ (रू0. दस लाख) रूपये व आईडी प्रूफ आदि को चोरी कर ले जाना के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरणः- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 05.02.2025 को अभियुक्तगण 1. अभिषेक मिश्रा उर्फ राजू पुत्र विजय मिश्रा निवासी गाँव अजीजगंज थाना सदर कोतवाली जिला शाहजहाँपुर उ0प्र0 हाल पता जितेन्द्र का मकान , कोतवालपुर रोड़ गांव चिरौड़ी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष व 2. सुनील तिवारी S/O सुरेश चन्द्र निवासी गाँव अहमदपुर थाना कांठ जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 35 वर्ष को DPS फाटक नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त अभिषेक मिश्रा उर्फ राजू ने बताया कि मैने नौकरी के लिए JOB HAI APP पर अपना आधार कार्ड व DL डाला था तो मेरे पास राकेश मित्तल जी का फोन आया था तो 27/1/25 से मैने उनके यहा 15000 रू0 महीना पर ड्राइवर की नौकरी कर ली। कल मेरे मालिक राकेश मित्तल अपनी बेटी और दूसरे नौकर राहुल के साथ दिल्ली मैक्स अस्पताल गये थे उसके बाद वहा किसी होटल से उन्होंने किसी से पैसे लिये थे और मैने सामने ही गाड़ी में सीट के नीचे रख लिये थे। जब घर पहुँचे तो मालिक और उनकी बेटी ऊपर चले गये और राहुल अन्दर चला गया तो मेरे मन में लालच आ गया तो पैसो से भरा बैग लेकर अपनी स्कूटी से भाग गया। रास्ते में मैने अपने जीजा सुनील तिवारी को फोन कर नूर नगर चौराहे पर मिलने के लिए कहा और अपना फोन बन्द करने के लिए भी कहा, मिलने के बाद रात भर हम दोनो ने शराब पी और मौज मस्ती की और सुबह चिरौड़ी अपने घर पहुँचा जहा मैने कुछ लोगो से उधार ले रखा था उनका कर्जा चुकाया और मकान का किराया दिया और घर से अपने जीजा के साथ इधर उधर घुमने के लिये निकल गया। अब मै अपनी बहन के घर सिहानी जा रहा था तो आपने पकड़ लिया। हम दोनो के पास ये जो रूपये मिले है ये वही चोरी के रुपये है। शेष रूपयो के बारे में पुनः सख्ती से पूछा गया तो शेष रूपये से भरा बैंग इसी स्कूटी की डिग्गी में रखा है। पकड़े गये व्यक्ति सुनील तिवारी ने भी अभिषेक मिश्रा की बात का समर्थन किया।

बरामदगी-

- 8,89,000 रू0 रूपये नगद
- एक स्कूटी एक्टिवा रजि0 न0-UP14BC7110
- अभियुक्त अभिषेक मिश्रा का एक डीएल (नागालैण्ड राज्य का)

अभियुक्त का नाम पता-

1. अभिषेक मिश्रा उर्फ राजू पुत्र विजय मिश्रा निवासी गाँव अजीजगंज थाना सदर कोतवाली जिला शाहजहाँपुर उ0प्र0 हाल पता जितेन्द्र का मकान , कोतवालपुर रोड़ गांव चिरौड़ी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष शिक्षा 10^{th}
2. सुनील तिवारी S/O सुरेश चन्द्र निवासी गाँव अहमदपुर थाना कांठ जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 35 वर्ष शिक्षा 10^{th}

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करना व छीना-झपटी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 05.02.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दो पहिया वाहन चोरी करना व छीना-झपटी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त विजय कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी ए 10/172 राजवीर कॉलोनी गणोली एक्सटेंशन थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को खण्डर बिल्डिंग के पास आनन्द बिहार बॉर्डर थाना कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त विजय कुमार पुत्र अजय कुमार के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त विजय कुमार पुत्र अजय कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये की अभियुक्त विजय कुमार से बरामद मोटर साइकिल चोरी की है। जिसे दिनांक 05.05.2024 को दिल्ली गाजीपुर से चोरी किया था इसी मोटर साइकिल से वह छीना-झपटी की घटना कारित करता है। अभियुक्त दिनांक 05.02.2025 को मोबाइल फोन छीन्ने की फिराक में खण्डर बिल्डिंग के पास आनन्द बिहार बॉर्डर के आस पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. विजय कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी ए 10/172 राजवीर कॉलोनी गणोली एक्सटेंशन थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त विजय कुमार पुत्र अजय कुमार के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर छीना-झपटी के 02 अभियोग, थाना पटपड़गंज दिल्ली व थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली में छीना-झपटी के 02 अभियोग, थाना गाजीपुर दिल्ली में चोरी व मारपीट के 02 अभियोग कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा छीना- झपटी की घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटर साइकिल ,छीना- झपटी का 01 मोबाइल फोन व 1300/- रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 05.02.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी लोकेन्द्र त्यागी पुत्र स्व श्री सुभाष त्यागी निवासी 72 सद्दीकनगर सिहानी जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 03.02.2025 को मेरा बेटा शुभांष त्यागी अपनी स्कूटी पर कॉलेज से घर आ रहा था तभी वसुन्धरा फ्लाई ओवर के ऊपर पीछे से 03 अज्ञात व्यक्ति मोटर साइकिल पर आये और मेरे बेटे शुभांष त्यागी के साथ मारपीट करके झप्पटा मारकर मोबाइल फोन व बैग (जिसमे 2500 रूपये व डेबिट कार्ड) छीन कर ले गये । तत्काल थाना लिंकरोड पर धारा 304,115(2),352,351(2),351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर छीना- झपटी की घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्त 1. रितिक उर्फ अनुज पुत्र श्री मनोज कुमार निवासी सेढी थाना धामपुर बिजनौर हाल पता गिरधरपुर सुनार सिंह थाना बिसरख गौतमबुधनगर उम्र करीब 24 वर्ष, 2. अनुज उर्फ गोलू पुत्र अशोक कुमार निवासी पुराना शिव मन्दिर के पास धारा वाली गली ग्राम साहिबाबाद लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष, 3. विपिन यादव उर्फ राहुल पुत्र जितेन्द्र यादव निवासी पुराना शिव मन्दिर के पास धारा वाली गली ग्राम साहिबाबाद लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को साहिबाबाद मण्डी गेट नं0 1 के सामने रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 मोटर साइकिल छीना- झपटी का 01 मोबाइल फोन व 1300/- रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 304,115(2),352,351(2),351(3) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ौतरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से बारी-बारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 03.02.2025 को अपनी मोटर साइकिल से मोहननगर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में स्कूटी और मोटर साइकिल की आपस में टक्कर हो गई अभियुक्तगण की मोटर साइकिल डिवाइडर से टकरा गई जिससे मोटर साइकिल में नुकसान हो गया। अभियुक्तगण द्वारा स्कूटी सबार व्यक्ति से अपने नुकसान का हर्जाना मांगा। नुकसान की भरपाई न करने पर अभियुक्तगण ने मिलकर स्कूटी सवार व्यक्ति (वादी का पुत्र शुभांष) का मोबाइल फोन और बैग छीन लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. रितिक उर्फ अनुज पुत्र श्री मनोज कुमार निवासी सेढी थाना धामपुर बिजनौर हाल पता गिरधरपुर सुनार सिंह थाना बिसरख गौतमबुधनगर उम्र करीब 24 वर्ष।
2. अनुज उर्फ गोलू पुत्र अशोक कुमार निवासी पुराना शिव मन्दिर के पास धारा वाली गली ग्राम साहिबाबाद लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
3. विपिन यादव उर्फ राहुल पुत्र जितेन्द्र यादव निवासी पुराना शिव मन्दिर के पास धारा वाली गली ग्राम साहिबाबाद लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

01 मोटर साइकिल ,छीना- झपटी का 01 मोबाइल फोन व 1300/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।